34

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण

नीटूमल आ. स्व.श्री हरीराम बलेचा
निवासी जगदीशपुरा तहसील एवं
जिला–विदिशा म.प्र.

विरूद्ध

1. भगवानदास आ.स्व.श्री सूरजमल
2. हुकुमचन्द बलेचा आ.स्व.श्री सूरजमल
3. बबली पुत्री स्व.श्री सूरजमल
निवासीगण सिंधी कॉलोनी गंजबसौदा
जिला–विदिशा म.प्र.
4. श्री चन्द भाउ आ. श्री गुलाबराय
5. राजेन्द्र कुमार आ. श्री गुलाबराय
निवासीगण तिलक चौक तहसील एवं
जिला–विदिशा म.प्र.

अपर आयुक्त भोपाल संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक–370/14–15 में अपील में पारित आदेश दिनांक 26/09/2017 के पुनरीक्षण हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध एवं मनमाने होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, कस्बा विदिशा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1537/2, 1538 एवं 1540/1 के भूमि स्वामी सूरजमल ने आवेदक के हित में वसीयतनामा निष्पादित किया था सूरजमल की मृत्यु के बाद आवेदक ने वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया अनावेदक क्रमांक–1 से 3 ने भी वसीयत के आधार पर तथा अनावेदक–4 एवं 5 में विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किये।

3. यह कि, तहसील न्यायालय ने आवेदक द्वारा उठायी गयी आपत्तियों को स्वीकार करते हये अनावेदकगण के आवेदनो को निरस्त किया जिसके विरूद्ध अनावेदको ने अनुविभागीय

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/4087

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/01/19	आवेदक अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वे इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। विचारोपरांत आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण उन्हें मूलत: वापस किया जाए। **प्रशासकीय सदस्य**	